

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जर्ची उपस्थित।
28/03/22 अधिवक्ता जर्ची द्वारा प्रा. पत्र तालिका धारा - 128
श. ले. रे. एच. द्वारा बहस प्रस्तुत की। अधिवक्ता
जर्ची की बहस सुनी अधिवक्ता जर्ची द्वारा प्रस्तुत
दलीलों से हम संतुष्ट हैं। प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा
128 श. ले. रे. एच. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार
किया जाता है। प्रा. पत्र पर पत्थरगढ़ी की जाने के
आदेश दिए जाते हैं। प्रा. पत्र धारा 128 श. ले. रे. एच.
पर निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली फंसल नुमांश लेकर नम्बर
से काम की जाकर शा. एच. हो

उपस्थित अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

